पर्चा डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 80/2022

अनवान : –

1. रघुवीर सिंह पुत्र रेशमीदेवी पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी चिडिया गान्धी त0 भादरा। वादी

बनाम

1. रेशमीदेवी पत्नी रायसिंह पुत्री घोघादेवी जाति जाट निवासी पन्नीवाली मोटा तहसील व जिला सिरसा।
2. रायसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली मोटा त0 जिला सिरसा।
3. मनोज कुमार पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी पन्नीवाली मोटा त0 व जिला सिरसा।
4. संजयसिंह पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी पन्नीवाली मोटा त0 व जिला सिरसा।
5. रमेशदेवी पत्नी दलीपसिंह पुत्री रेशमीदेवी जाति जाट निवासी भादरा त0 भादरा।
6. पंजाब नेशनल बैंक गान्धीबड़ी त0 भादरा जरिये प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र जाखड़ व वकील प्रतिवादी श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा रोही मौजा चक 6 एसडीआर के खाता सं0 174/29 के मु0न0 32 के किला न0 5/2, 6/2, 15/2, 16/2, 25/2, मु0न0 33 के किला न0 1 ता 25 मु0न0 34 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10, 12 मु0न0 56 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 14 , 15 की कुल 12.914है0 व चक 20 एएमएस के खाता सं0 166/31 के मु0न0 4 के किला न0 3/1, 4, 7, 8/1, 13/1, 14 की कुल 1.137है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादीया सं0 1 रेशमी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रेशमी देवी की बजाए वादी रघुवीर सिंह प्रतिवादीया सं0 1 रेशमी देवी प्रतिवादी सं0 3 मनोज कुमार प्रतिवादी सं0 4 संजय सिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये** जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 —80 / 2022

अनवान : —

1. रघुवीर सिंह पुत्र रेशमीदेवी पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी चिडिया गान्धी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. रेशमीदेवी पत्नी रायसिंह पुत्री घोघादेवी जाति जाट निवासी पन्नीवाली मोटा तहसील व जिला सिरसा।
2. रायसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली मोटा त0 जिला सिरसा।
3. मनोज कुमार पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी पन्नीवाली मोटा त0 व जिला सिरसा।
4. संजयसिंह पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी पन्नीवाली मोटा त0 व जिला सिरसा।
5. रमेशदेवी पत्नी दलीपसिंह पुत्री रेशमीदेवी जाति जाट निवासी भादरा त0 भादरा।
6. पंजाब नेशनल बैंक गान्धीबड़ी त0 भादरा जरिये प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री विरेन्द्र जाखड़ वादी
श्री प्रेम प्रकाश झोरड़ प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 17/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एसडीआर के खाता सं0 174 / 29 के मु0न0 32 के किला न0 5 / 2, 6 / 2, 15 / 2, 16 / 2, 25 / 2, मु0न0 33 के किला न0 1 ता 25 मु0न0 34 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0न0 55 के किला न0 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 2 / 2, 9, 10, 12 मु0न0 56 के किला न0 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 2 / 2, 3 / 1, 3 / 2, 4 / 1, 4 / 2, 5 / 1, 5 / 2, 6, 14 , 15 की कुल 12.914है0 व चक 20 एएमएस के खाता सं0 166 / 31 के मु0न0 4 के किला न0 3 / 1, 4, 7, 8 / 1, 13 / 1, 14 की कुल 1.137है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादीया सं0 1 रेशमी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के पूर्वजों की खातेदारी हुआ करती थी। उसके बाद प्रतिवादी सं0 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 5का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में रघुवीरसिंह के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी जमाबंदी चक 20 एएमएस प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 6 एसडीआर प्रदर्श 2 जमाबंदी पैतृक 3 व 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 6 एसडीआर के खाता सं0 174/29 के मु0न0 32 के किला न0 5/2, 6/2, 15/2, 16/2, 25/2, मु0न0 33 के किला न0 1 ता 25 मु0न0 34 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10, 12 मु0न0 56 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 14 , 15 की कुल 12.914है0 व चक 20 एएमएस के खाता सं0 166/31 के मु0न0 4 के किला न0 3/1, 4, 7, 8/1, 13/1, 14 की कुल 1.137है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादीया सं0 1 रेशमी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदीयों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 3 ता 5 का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सं0 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 2 रघुवीर के पिता ने अपनी सहमती राजीनामा में प्रकट की है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 एसडीआर के खाता सं0 174/29 के मु0न0 32 के किला न0 5/2, 6/2, 15/2, 16/2, 25/2, मु0न0 33 के किला न0 1 ता 25 मु0न0 34 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 मु0न0 55 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10, 12 मु0न0 56 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 14 , 15 की कुल 12.914है0 व चक 20 एएमएस के खाता सं0 166/31 के मु0न0 4 के किला न0 3/1, 4, 7, 8/1, 13/1, 14 की कुल 1.137है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादीया सं0 1 रेशमी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा **प्रतिवादी सं0 1 रेशमी देवी की बजाए वादी रघुवीर सिंह प्रतिवादीया सं0 1 रेशमी देवी प्रतिवादी सं0 3 मनोज कुमार प्रतिवादी सं0 4 संजय सिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकुतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ